न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या – 114/2015 राजस्व वाद

दायर दिनांक–1.8.2015
निर्णय दिनांक –17.1.2018

1– श्री कलु पिता कुरिया ताबियार निवासी दिवडा बडा तहसील गलियाकोट

(वादी)

बनाम

1– हुकी पुत्री कालिया ताबियार पत्नी धूला निवासी दिवडाछोटा
2– सोमा पिता नाथू ताबियार निवासी दिवडा बडा
3– भूरी बेवा नाथू ताबियार निवासी दिवडाबडा
4– नीमा पुत्री नाथू ताबियार निवासी दिवडाबडा
5– भरत पिता लाला ताबियार निवासी दिवडाबडा
6– जगु पिता लाला ताबियार निवासी दिवडाबडा
7– उमिया पिता लाला ताबियार निवासी दिवडाबडा
8– भीखा पिता रूपा ताबियार निवासी दिवडाबडा
9– मंजु पिता रूपा ताबियार निवासी दिवडाबडा
10– कला पिता देवीलाल ताबियार निवासी दिवडाबडा
11– रिशा पिता देवीलाल ताबियार निवासी दिवडाबडा
12– सुभाष पिता देवीलाल ताबियार निवासी दिवडाबडा
13– तुलसी बेवा देवीलाल ताबियार निवासी दिवडाबडा
14– भूरजी पिता कुरिया ताबियार ताबियार निवासी दिवडाबडा
15– राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री कपिल भट्ट

वाद अन्तर्गत धारा 125 सहपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एवं धारा 53 ,88,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित पीढीनामा के अनुसार वादी और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 एक ही परिवार के होकर आपस में भाई भागीये है। जमाबन्दी ग्राम दिवडा बडा की बन्दोवस्त रियासत डूँगरपुर संवत 2001–2010 के खसरा नम्बरान जो वादी के दादा कालिया पिता जगा भील के नाम से दर्ज रेकार्ड हैं जो सेटलमेण्ट संवत 2022 में उक्त खातों एवं खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण आराजीयाते राजस्व कर्मचारियों की गलती से कालिया के बडे पुत्र नाथू के नाम से दर्ज रेकार्ड हो गई और कालिया के अन्य संतानें के नाम उक्त खातो के खसरा नम्बरान की आराजीयात में इन्द्राज नहीं हुए । यह कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम दिवडा बडा संवत 2067–70 के खाता संख्या 548 नया व 505 पुराना के खसरा नम्बर 878,879,880,887,1479,2032,2180,2426 का रकबा कमशः 0.04बिस्वा,0.09बिस्वा,0.04बिस्वा,1.00बीघा,0.04बिस्वा,0.18बिस्वा,0.06बिस्वा,ओर 2बीघा 3 बिस्वा वादी की पैत्रक सम्पत्ति होकर इनके साविक नम्बर वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित है। यह कि कालिया के बडे पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

नाथू की मृत्यु होने से वर्तमान में उक्त साबीक खसरा नम्बरान के खाते में नाथू के वारिसान लाला,रूपा,सोमा,नीमा पिता नाथू एवं भूरी बेवा नाथू और नाथू के पूत्र देवीलाल की मृत्यु होने से देवीलाल के वारिसान कला ,रीशा, सुभाष और तुलसी बेवा देवीलाल के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। यह कि नाथू के पुत्र लाला और रूपा की भी मृत्यु हो जाने से उनके वारिसानों को प्रतिवादीगण बनाया गया है । यह कि वादी उक्त आराजीयात में अपने पैत्रक बंटवारे के अनुरूप अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । मौके पर आये दिन बंटवारे को लेकर विवाद होने से उक्त समस्त आराजीयात मं इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम दर्ज रेकार्ड कर विविधवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है । वादी ने वाद के अन्त मे वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित समस्त आराजीयात में से वादी का अपने पैत्रक हिस्से पर नाम इन्द्राज दर्ज रेकार्ड किया जाने , उक्त समस्त आराजीयात का बंटवारा बराबर बराबर तीन हिस्सों में कर वादी के नाम से अलग खाता किया जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हिस्से में किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करने न ही किसी अन्य के मार्फग्त कारित कराने स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ संवत 2027 फर्द तुलनात्मक की प्रति , ग्राम दीवडा बडा की संवत 2001 से 2010 की कालिया वल्द जगा भील के खाते की जमाबन्दी की नकल , संवत 2015 की फर्द तुलनात्मक की प्रति , उक्त खाते के खसरा नम्बरों का ट्रैस , गांव दीवडा बडा के खाता संख्या 207 संवत 2022 सेटलमेण्ट की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रंस्तुत करने नोटिस जारी किए गए ।दिनांक 28.10.2015 को प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

वादी की ओर से साक्ष्य मे स्वयं का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत दस्तावेज 1 से 10 प्रदर्श कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की जाने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बन्दोवस्त रियासत डूँगरपुर संवत 2001 से 2010 के खसरा नम्बर जो वादी के दादा कालिया पिता जगा के नाम से दर्ज रेकार्ड हैं ,सेटलमेण्ट संवत 2022 में उक्त खातो एंव खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण आराजीयात राजस्व कर्मचारियों की गलती से कालिया के बडे पुत्र नाथू के नाम से दर्ज रेकार्ड हो गए और कालिया की अन्य संतानों के नाम उक्त खाते में इन्द्राज नहीं होना बताया है । वकील वादी ने वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श –10 में अंकित आराजी नम्बर 878,879,880,887,1479,2032,2180,2426 का रकबा क्रमशः 0.04बिस्वा,0.09बिस्वा,0.04बिस्वा,1.00बीघा,0.04बिस्वा,0.18बिस्वा,0.06बिस्वा,आर 2बीघा 3 बिस्वा वादी की पैत्रक सम्पत्ति होकर इनके साबिक नम्बर वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित होना तथा उक्त आराजीयात पर अपने पैत्रक बंटवारे के अनुरूप अपने पिता के समय से काबिज हो काश्त किया जाना बताया है । वकील वादी ने अपनी बहस के अन्त में उक्त आराजीयात में वादी का नाम इन्द्राज नहीं होने से नाम दर्ज कराने एवं बंटवारा कर प्रथक खाता दर्ज कराने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया ।

मौजा दिवडा बडा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 664/548 में खसरा नम्बर 878,879,880,887,1479,2032,2180,2426 का रकबा कमशः 0.04बिस्वा,0.09बिस्वा,0.04बिस्वा,1.00बीघा,0.04बिस्वा,0.18बिस्वा,0.06बिस्वा,आर 2बीघा 3 बिस्वा के खातेदार लाला ,रूपा सोमा नीमा पिता नाथू 5/6 हिब ,सुभाष कला रिशा पिता देवीलाल नाबा की वली माता तुलसी बेवा देवीलाल 1/6 हिब सा देह खातेदार दर्ज हैं । उक्त आराजीयात संवत 2001 से 10 में वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

मीनागा के मूल पुरूष कालिया के नाम दर्ज रेकार्ड थी । कालिया की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात कालिया के बडे पुत्र नाथू अकेले के नाम दर्ज हो गई जबकि उस समय उक्त आराजीयात कालिया के वारिसान नाथू ,कुरिया,वेला,हुकी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी । इसी प्रकार नाथू की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात नाथू के वारीसान के नाम ही दर्ज हो गई । वादी उक्त आराजीयात में अपने पैत्रक बंटवारे के अनुरूप अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक है एवं पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर पैत्रक बंटवारे के अनुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे है । वादी पैत्रक कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज कराने एवं बंटवारा कराने का अधिकारी है ।

दिनांक 6.4.2016 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर मौजा दिवडा बडा की जमाबन्दी संवत 2071 के खाता संख्या 664 कुल खसरा नम्बर 8 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड किया जाने आदेश दिया जाकर इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी कि तहसीलदार गलियाकोट उक्त खाता संख्या के आराजीयात का हिस्सानुसार बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्षा ट्रैस तीन प्रति में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सागवाडा द्वारा जरिये पत्र संख्या राजस्व/2017/564 दिनांक 9.11.2017 से निम्नानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई :–

क०सं०	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	लाला,रूपा,सोमा,नीमा,पिता नाथू 5/6,हिब सुभाष कला रिशा पिता देवीलाल नाबा की वली माता तुलसी बेवा देवीलाल 1/6 हिब भील सादेह खातेदार	878/1	0.02	रा.।
		879/1	0.03	रा.।
		880/1	0.02	रा.।
		887/1	0.07	रा.।
		1479/1	0.01	रा.।
		2032/1	0.06	सी.।।
		2180/1	0.02	सु.।
		2426/1	0.13	रो.प्र.
2	कलु भूरजी वनु धनु लाली पिता कुरीया भील सादेह खातेदार	878/2	0.01	रा.।
		879/2	0.03	रा.।
		880/2	0.01	रा.।
		887/2	0.07	रा.।
		1479/2	0.02	रा.।
		2032/2	0.06	सी.।।
		2180/2	0.02	सु.।
		2426/2	0.14	रो.प्र.
3	हुकी पुत्री कालीया भील सादेह खातेदार	878/3	0.01	रा.।
		879/3	0.03	रा.।
		880/3	0.01	रा.।
		887/3	0.06	रा.।
		1479/3	0.01	रा.।
		2032/3	0.06	सी.।।
		2180/3	0.02	सु.।
		2426/3	0.16	रो.प्र.

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी की बंटवारा रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी बंटवारा रिपोर्ट से सहमत हो तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने सहमती दी ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं अन्तिम डिक्री किया जाकर मौजा दिवडाबडा की जमाबन्दी संवत 2071 के खाता संख्या 664 कुल खसरा 8 रकबा पांच बीघा आठ बिस्वा का संलग्न बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ – अ अनुसार अमलदरामद कर प्रथक प्रथक खाता दर्ज किए जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें न ही किसी अन्य के मार्फत कारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner